०आरक्षण ...

कार्यालय मुख्य अभियंता (ज.क्षे.) जबलपुर

कार्यालय मुख्य अभियंता (ज.क्षे.) जबलपुर

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर

CIN: U40109MP2002SGC015120
(म.प्र.शासन का उपक्रम)

SHED NO. 3, RAMPUR, JABALPUR, PHONE: 0761-2663987, 2702345 FAX No.0761-2665184,2665958 EMAIL : cejr9440000@gmail.com

क्र.मु.अ./ज.क्षे/मा.सं./स्था–II/एप्रेंटिस/5525 जबलपुर दिनांक: 7 SEP 2018

//आदेश//

निदेशक एवं केंद्रीय क्षेत्रीय एप्रेंटिसशिप सलाहकार, शिक्षु प्रशिक्षण मंडल, पश्चिम क्षेत्र मुम्बई के पत्र क्रमांक बी.ओ.ए.टी/सूचना/317203/जी.एस.एम./1855 दिनांक 09/10.05.2011 एवं पत्र क्र. बी.ओ.ए.टी./जी.एस.एल./317203/14906 दिनांक 10.01.2014 के परिपालन एवं मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा एवं प्रशा.) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.जबलपुर से समय–समय पर प्राप्त निर्देशानुसार स्नातक/तकनीकी एप्रेंटिस के प्रशिक्षण हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञापन क्र. 6710 दिनांक 28.02.2018 के तहत प्राप्त आवेदनों के आधार पर **इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स** अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि प्राप्त निम्नलिखित उम्मीदवारों को एप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु चयनित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे उनके नाम के सम्मुख दर्शित वृत्त में नियत दिनांक को प्रशिक्षण हेतु अपनी उपस्थिति देवें :–

क्र.	अभ्यर्थी का नाम/ (सर्व श्री)	शैक्षणिक योग्यता	चयनित संवर्ग	गृह जिला	संभाग का नाम जहाँ प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति दिया जाना है।
		स्नातक एप्रेंटिस			
1	अनुज अग्रवाल	बी.ई. (इले. एवं इलेक्ट्रानिक्स)	सामान्य	सागर	(संचा.संधा.) वृत्त, नरसिंहपुर
2	सलमान सिदिकी	बी.ई. (इले. एवं इलेक्ट्रानिक्स)	अ.पि.वर्ग	कटनी	(संचा.संधा.) वृत्त, कटनी

महत्वपूर्ण नियम एवं शर्ते :–

1. एप्रेंटिस प्रशिक्षण एप्रेंटिस अधिनियम 1961 एवं नियम 1992 के अन्तर्गत प्रशासित होगी तथा समय–समय पर संशोधित सभी नियम चयनित एप्रेंटिस प्रशिक्षु पर लागू रहेगें।
2. प्रशिक्षु को दिनांक **11.09.2018** को विज्ञापन में उल्लेखित सभी मूल दस्तावेजों (दो सेट छायाप्रति सहित) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा अन्यथा उनका आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत प्रशिक्षुओं द्वारा उनकें नाम के समक्ष दर्शित वृत्त में दिनांक **12.09.2018** .को उपस्थिति देना अनिवार्य होगा।
3. एप्रेंटिस प्रशिक्षण केवल 01 वर्ष का होगा एवं प्रशिक्षण अवधि को किसी संविदा/नियमित पद पर नियुक्ति हेतु प्राथमिकता नहीं दी जावेगी।
4. स्नातक एप्रेंटिस प्रशिक्षु को प्रशिक्षण हेतु रूपये 4,984/– एवं तकनीकी एप्रेंटिस प्रशिक्षु को रूपये 3,542/– प्रतिमाह शिष्यवृत्ति देय होगी।
5. एप्रेंटिस प्रशिक्षु को विभाग के कार्यालयीन समय में ही प्रशिक्षण दिया जावेगा।
6. एप्रेंटिस प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु को एक वर्ष में अधिकतम **12 दिवस** आकस्मिक अवकाश, **15 दिवस** चिकित्सा अवकाश एवं **10 दिवस** का विशेष अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त व्यतीत किया गया अवकाश को भुगतान योग्य नहीं माना जावेगा। कोई भी अवकाश बिना पूर्व अनुमति के स्वीकृति नहीं किया जावेगा।

Scanned by CamScanner

7. प्रत्येक स्नातक/तकनीकी एप्रेंटिस अपनी दैनंदनी (डायरी) तैयार कर प्रतिमाह नियंत्रणकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
8. प्रशिक्षु का आचरण एवं कार्य संतोषजनक पाये जाने पर ही उनकी शिष्यवृत्ति का भुगतान नियमित रखा जा सकेगा।
9. प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षु के द्वारा किसी भी प्रकार के कदाचरण अथवा दुर्व्यवहार करने पर उसे प्रशिक्षण से निष्काषित किया जा सकेगा।
10. प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षु के स्थानान्तरण आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
11. प्रशिक्षण अवधि के दौरान संस्थान की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाये जाने पर उसकी क्षतिपूर्ति प्रशिक्षु भत्ता से की जावेगी तथा उसे प्रशिक्षु का गंभीर दुराचरण माना जावेगा।
12. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर नियंत्रणकर्ता अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा लिये गये निर्णय से इस कार्यालय को अवगत कराया जावेगा।
13. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु के दुर्घटनाग्रस्त होने पर संस्थान की जवाबदारी नहीं रहेगी।
14. स्नातक/तकनीकि एप्रेंटिस प्रशिक्षु संलग्न **प्रारूप एनेक्सर–: IA में** अनुबंध तैयार कर दिनांक **11.09.2018** को इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगें।
15. स्नातक/तकनीकि अप्रेंटिस प्रशिक्षु संलग्न **प्रारूप एनेक्सर–: IB** में संविदा तैयार कर दिनांक **11.09.2018** को इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगें।
बोर्ड द्वारा प्रदत्त **शारीरिक सक्षमता प्रमाण पत्र** मूल रूप में दिनांक **11.09.2018** को इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
18. चयनित एप्रेंटिसों को प्रशिक्षण अवधि के पश्चात् कंपनी में नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा।

(आर.के. स्थापक)
मुख्य अभियंता (ज.क्षे.)

क्रमांक/मु.अ./ज.क्षे./मा.संसा./स्था–II/एप्रेंटिस/5526 जबलपुर, दिनांक 7 SEP 2018

प्रतिलिपि–
1. मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा एवं प्रशा.) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
2. अधीक्षण अभियंता (संचा/संधा.)/(शहर) वृत्त म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ....
3. कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा./शहर/एसटीएम/सिविल/एमटी/एसटीसी) संभाग म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ....
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. जबलपुर/छिंदवाड़ा।
5. श्री/कु. ....–को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

नोटः कंमाक 2 के लिये :–
1. उपरोक्त अभ्यर्थियों के एप्रेंटिस प्रशिक्षण एवं उपस्थिति की जानकारी इस कार्यालय को दिनांक 14.09.2018 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. नियोजित एप्रेंटिंस को प्रशिक्षु भत्ते का भुगतान वृत्त स्तर से ही किया जावेगा।
(विशेष टीप– यह आदेश म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. जबलपुर की वेवसाईट www.mpez.co.in के career page में उपलब्ध है। इस आदेश की हार्डकॉपी अलग से प्रेषित नहीं की जावेगी।

(जी.पी. पाण्डेय)
प्रबंधक (मा.संसा.)

Scanned by CamScanner